राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक: प.9(1) शिक्षा–5/2010पार्ट जयपुर, दिनांक: 11-10-12

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषयः– आर.टी.ई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) के निर्धारित बाबत।

संदर्भः– शिविरा/प्रार/आर.टी.ई./यूनिट कॉस्ट/12–13/19626/138 दिनांक 29.8.12

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रतिबालक व्यय रूपये 9748/– (अक्षरे नौ हजार सात सौ अडतालीस मात्र) प्रतिवर्ष अथवा विद्यालय द्वारा प्रतिबालक ली जा रही फीस, जो भी कम हो, के किये जाने की निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

01. यह यूनिट कोस्ट सत्र 2012–13 में प्रवेश लेने वाले बालकों पर लागू होगी।
02. प्रविष्ठ किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने नियंत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
03. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रकिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का ध्यान रखा जायेगा।
04. इस यूनिट कोस्ट में निजी विद्यालयों द्वारा बालको से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेंगे।
05. इस यूनिट कोस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
06. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगें।
07. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू–आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी संख्या 101203850 दिनांक 8.10.2012 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

भवदीय,

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 शिक्षा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
5. निजी सचिव, आयुक्त, सर्वशिक्षा अभियान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
10. उप शासन सचिव, आयोजना, जनशक्ति विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
12. वित्तीय सलाहकार, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

11/10
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक: प.9(1) शिक्षा–5/2010पार्ट जयपुर, दिनांक: 19-07-2013

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः–आर.टी.ई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) सत्र 2013–14 के निर्धारण बाबत।

संदर्भः–शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./सी/यूनिट कॉस्ट/18882/13–14/लूज 8/ दिनांक 28.6.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत **निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009** के प्रावधानान्तर्गत राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय **रूपये 11704/– (अक्षरे ग्यारह हजार सात सौ चार रू. मात्र)** प्रतिवर्ष किये जाने की निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

D.C.(RTE)
25.7.13
1015

01. यह यूनिट कोस्ट सत्र 2013–14 में प्रवेश लेने वाले बालकों पर लागू होगी।
02. प्रविष्ठ किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने नियंत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
03. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रकिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का उचित सत्यापन पश्चात ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
04. इस यूनिट कोस्ट में निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेगे।
05. इस यूनिट कोस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
06. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नही करेंगें।
07. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू–आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी. संख्या 101303193 दिनांक 18.7.2013 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 शिक्षा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
5. निजी सचिव, आयुक्त, सर्वशिक्षा अभियान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
10. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग।
11. उप शासन सचिव, आयोजना, जनशक्ति विभाग।
12. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
13. वित्तीय सलाहकार, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

(बी. एस. परमार)
संयुक्त शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
School Education Department

F.21(19)Edu.-1/E.E./2009 Jaipur, the 29th March, 2011

-NOTIFICATION-

In pursuance of clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as "child belonging to disadvantaged group", namely:-

a) the Scheduled Castes,

b) the Scheduled Tribes,

c) Other Backward Classes and Special Backward Classes whose parents' annual income does not exceed ₹. 2.50 lacs, and

d) a child covered under the definition of "person with disability" under clause (t) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

By Order of the Governor,

29/03/2011

(Ashok Sampatram)
Principal Secretary to Govt.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Education Minister, Rajasthan, Jaipur
3. P.S to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
4. Director Printing and Stationary Department (along with additional copies) for publication of the Notification in the Rajasthan Gazette dated 29/03/2011.
5. Director, Public Relations, Rajasthan, Jaipur

29/03/2011

Principal Secretary to Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
School Education Department

F.21(19)Edu.-1/E.E./2009 Jaipur, the 29th March, 2011

-NOTIFICATION-

In pursuance of clause (e) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as "child belonging to weaker section", namely:-

a) A child whose parents are included in the list of Below Poverty Line families (both Central and State lists) prepared by the Rural Development Department / Urban Development Department of the State Government, and

b) A child whose parents' annual income does not exceed ₹. 2.50 lacs.

By Order of the Governor,

29/03/2011

(Ashok Sampatram)
Principal Secretary to Govt.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Education Minister, Rajasthan, Jaipur
3. P.S to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
4. Director Printing and Stationary Department (along with additional copies) for publication of the Notification in the Rajasthan Gazette dated 29/03/2011.
5. Director, Public Relations, Rajasthan, Jaipur

29/03/2011

Principal Secretary to Government